

भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act 1927) में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संशोधन प्रस्तावित है (Draft संलग्न)।

उक्त संशोधन पर विचार-विमर्श कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन देने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के निर्देशानुसार निम्नवत् चार समितियों का गठन किया जाता है:

1. (i) श्री सत्यजीत. सिंह,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संधाल परगना, दुमका। अध्यक्ष

(ii) श्री जे०पी० केशरी,
वन संरक्षक, देवघर।

(iii) श्री प्रेमजीत आनंद,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर। सदस्य सचिव

(iii) श्री महालिंग,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़।

(iii) श्री सौरव चन्द्रा,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका।

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters I,II,III एवं IV (धारा 1 से 34 तक) पर विचार करेगी।

2. (i) श्री संजीव कुमार,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग अध्यक्ष

(ii) श्री अजीत कुमार सिंह,
वन संरक्षक, हजारीबाग।

(iii) श्री पी०आर० नायडू,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग (पश्चिम)। सदस्य सचिव

(iv) श्रीमती स्मिता पंकज,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग (पूर्वी)।

(v) श्री एन०सी०एस० मुण्डा,
वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी)।

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters V,VI,VII एवं VIII (धारा 35 से 51 तक) पर विचार करेगी।

3. (i) श्री ए०टी० मिश्रा,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची। अध्यक्ष

(ii) श्री आर०के० राय,
वन संरक्षक, गुमला

(iii) सबाआलम अंसारी

1. (iv) श्री प्रवेश अग्रवाल

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

(v) श्री प्रवेश अग्रवाल

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

(v) श्री प्रवेश अग्रवाल

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters IX एवं X (धारा 52 से 71 तक) पर विचार करेगी।

4. (i) श्री डी0 वेंकटेश्वरलू
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो अध्यक्ष
- (ii) श्री सतीश चन्द्र राय
वन संरक्षक, बोकारो
- (iii) सुश्री ममता प्रियदर्शी
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह (पश्चिम) सदस्य सचिव
- (iv) श्री विजय शंकर दुबे
वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़
- (v) श्री आर0एन0 मिश्रा
वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो

यह समिति भारतीय वन अधिनियम (IFA) 1927 Chapters XI, XII एवं XIII (धारा 72 से 86 तक) पर विचार करेगी।

डॉ0 एम0पी0 सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ उपर्युक्त चारों समितियों का मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण करेंगे।

चारों समितियाँ वानिकी सेक्टर से जुड़े सभी stakeholders से विमर्श कर दिनांक 15.05.2019 से पहले आपस में समन्वय स्थापित कर एक संयुक्त प्रतिवेदन डॉ0 एम0पी0 सिंह के माध्यम से इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व से आहूत बैठक (दिनांक 07.05.2019) में चारों अध्यक्ष अपना Preliminary (प्रारंभिक) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

(15)mm अग्रवाल
24.04.2019
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
रांची।

ज्ञापांक : 1518

दिनांक : 24.4.19

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजनाएँ, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना दुमका/हजारीबाग/राँची/बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15)mm अग्रवाल
24.04.2019
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
रांची।